संख्या- 9 /2026/आई/1395907/2026/5-1099/8/2023-1-

प्रेषक,

रवि रंजन,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

चिकित्सा अनुभाग-1 लखनऊः दिनांकः 15 जुलाई, 2026

विषय- जनपद-लखनऊ के जानकीपुरम विस्तार योजना के सेक्टर-3 में नवनिर्मित/निर्माणाधीन ट्रामा सेन्टर के संचालन हेतु मानव संसाधन के सृजित पदों की निरन्तरता के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-11फ/स्थाई/2026-27/5085, दिनांक 08.04.2026 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आपके द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव के क्रम में शासनादेश संख्या- 22/2023/आई/383717/2023-5-1099/8/2023-1-, दिनांक 08.09.2023 द्वारा जनपद-लखनऊ के जानकीपुरम विस्तार योजना के सेक्टर-3 में नवनिर्मित ट्रामा सेन्टर के संचालन के लिये सृजित कुल 50 अस्थायी पदों की निरन्तरता वित्तीय वर्ष 2024-25 में शासनादेश संख्या-21/2024/आई/559432/2024/5-1099/8/2023-1,दिनांक 10.05.2024 द्वारा दिनांक 01.03.2024 से दिनांक 28.02.2025 तक एवं वित्तीय वर्ष 2025-26 में शासनादेश संख्या-24/2025/आई/924696/2025/5-1099/8/2023-1-, दिनांक 01.04.2025 द्वारा दिनांक 01.03.2025 से दिनांक 28.02.2026 तक निर्गत की गयी है। अब उक्त पदों की निरन्तरता वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिये दिनांक 01.03.2026 से 28.02.2027 तक बढ़ाये जाने हेतु श्री राज्यपाल एतद्द्वारा सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

क्र0सं0	पदनाम	सादृश्य वेतनमान (रु0 में)	ग्रेड वेतन (रु0 में)	स्वीकृत पदों की संख्या
1	चिकित्सा अधिकारी (एनेस्थेटिस्ट)	15600-39100	5400	02
2	चिकित्सा अधिकारी (आर्थोपैडिक सर्जन)	15600-39100	5400	02
3	चिकित्सा अधिकारी (जनरल सर्जन)	15600-39100	5400	02
4	कैजुअलिटी मेडिकल आफिसर (ई0एम0ओ0)	15600-39100	5400	03
5	स्टाफ नर्स (ट्रामा नर्स कोआर्डिनेटर सहित)	9300-34800	4600	15
6	ओ0टी0 टेक्नीशियन	5200-20200	2800	03
7	रेडियोग्राफर (एक्स-रे	9300-34800	4200	03

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

	टेक्नीशियन)			
8	लैब टेक्नीशियन	5200-20200	2800	02
9	नर्सिंग अटेण्डेन्ट	5200-20200	1800	09
10	मल्टी टास्क वर्कर	----	----	09 (सेवा प्रदाता एजेंसी के माध्यम से आउटसोर्स ऑफ सर्विसेज के आधार पर)
			कुल सृजित पदों की संख्या	50

3- उक्त पदों की निरंतरता निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगी :-

(1) इन अस्थायी पदों के स्थायीकरण के सम्बन्ध में वित्त (लेखा) अनुभाग-2 के कार्यालय ज्ञाप स०-ए-2-797/दस-87-24(12)-86, दिनांक 25.05.1987 में दी गयी व्यवस्था के अनुसार परीक्षण करते हुए कार्यवाही की जायेगी।

(2) उक्त अस्थायी पद की निरन्तरता का प्रस्ताव वर्षानुवर्ष शासन को उपलब्ध कराया जायेगा एवं नियत अवधि में निरन्तरता का प्रस्ताव शासन को उपलब्ध न कराने की दशा में सम्बन्धित का उत्तरदायित्व निर्धारित किया जायेगा।

(3) उक्त अस्थायी पद के स्थायीकरण के सम्बन्ध में नियमानुसार प्रस्ताव शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

(4) शासनादेश संख्या- 22/2023/आई/383717/2023-5-1099/8/2023-1-, दिनांक 08.09.2023 में उल्लिखित शर्तों एवं प्रतिबंधो का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(5) प्रश्नगत सृजित पद पर होने वाले व्यय का वहन वित्तीय वर्ष 2026-27 के आय-व्ययक की अनुदान संख्या-32 के लेखाशीर्षक 2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य, 01 शहरी स्वास्थ्य सेवायें-एलोपैथी, 110-अस्पताल तथा औषधालय, 10- जिला/संयुक्त चिकित्सालय में विशिष्ट चिकित्सा सुविधायें की सुसंगत इकाईयों के नामें डाला जायेगा।

(6) यह आदेश वित्त (लेखा) अनुभाग-2 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-ए-2-2574/ दस-98-24(8)/92 दिनांक 02.12.1998 में दिये गये शर्तों एवं प्रतिनिहित अधिकारों के अधीन जारी किया जा रहा है।

भवदीय,
रवि रंजन
विशेष सचिव।

संख्या एवं दिनांक उपरोक्तानुसार

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2- निदेशक (प्रशासन/चिकित्सा उपचार), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ०प्र०, लखनऊ।
3- वित्त नियंत्रक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ०प्र०, लखनऊ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

4- सम्बन्धित मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी/मुख्य चिकित्सा अधिकारी/मुख्य कोषाधिकारी।

5- सम्बन्धित अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग।

6- सम्बन्धित मुख्य चिकित्सा अधिकारी/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक।

7- वित्त (व्यय-नियत्रण) अनुभाग-3/नियोजन अनुभाग-4 / वित्त (वेतन-आयोग) अनुभाग-1/2

8- चिकित्सा अनुभाग-2/3/4/5/6/7/8

9- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
रविकेश चन्द्र
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।